

04 वांछित व 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 28.02.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर रोडबेज बस स्टाप घोसी के पास से मु0अ0स0 94/25 धारा 137(2),87,64,बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अनिरुध्द कनौजिया पुत्र नन्दू कनौजिया निवासी मीरपुर रहीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ, मु0अ0स0 103/25 धारा 109(1),3(5),115(2),351(2),352,324(4),118(1),238 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण रामप्रकाश चौहान पुत्र स्व. मधई चौहान,निरजंन चौहान पुत्र रामप्रकाश चौहान, सरिता चौहान पत्नी रामप्रकाश चौहान निवासीगण भीरा उसरा थाना घोसी जनपद मऊ व थाना कोतवालीनगर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण राजनाथ राजभर पुत्र विहारी राजभर निवासी बड़ी रहजनिया थाना कोतवाली नगर, फकीर चन्द्र राम पुत्र सीमारु राम निवासी बड़ा पोखरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, मुहम्मद जाहिद पुत्र शफीकुर रहमान निवासी पहाड़पुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, अहमद पुत्र इद्रीश निवासी मंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ तथा रानीपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र ढोढ़ा यादव निवासी दौवलसे पुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध 16 अदद शीशी बन्टी बबली शराब बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2025 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर खुरहट रेलवे स्टेशन तिराहा के पास से 01 अभियुक्त नीरज गुप्ता पुत्र पप्पु गुप्ता निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से 16 शीशी अवैध बन्टी-बबली शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यावाही की गई।

एक शातिर चोर गिरफ्तार व कब्जे से 02 अदद ई-रिक्सा बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में वअपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.02.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मतलूपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 28/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये अभियुक्त अमन गुप्ता पुत्र दुखन्ती गुप्ता निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 01 अदद ई-रिक्सा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पुछताछ में बताया कि मैने व अब्दुल वहाब पुत्र अब्दुल गनी निवासी डोमनपुरा हिब्बा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व उमर पुत्र नेयाज निवासी भटकृआं पट्टी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ मिलकर कुछ और ई-रिक्सा चोरी किये है जिसमें एक ई-रिक्सा अब्दुल वहाब के हाते में खड़ा है जिसपर पुलिस टीम द्वारा अब्दुल वहाब के हाते से चोरी का एक ई-रिक्सा बरामद किया गया। दोनो ई-रिक्सा का नम्बर प्लेट बदला हुआ है, बरामद किया गया।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग मे धारा 317(2)/317(4)/317(5)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 की बढोतरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण.....

➤ अमन गुप्ता पुत्र दुखन्ती गुप्ता सा0 डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास...

1.मु0अ0सं0 206/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

2.मु0अ0सं0 209/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

3.मु0अ0सं0 28/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/338/336(3) /340(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

4.मु0अ0सं0 70/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/338/336(3) /340(2) बी0एन0एस0

थाना

मु0बाद गोहना जनपद मऊ